**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1992**
**दिनांक 17 दिसंबर, 2025 / 26 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम**

**1992 श्री सत पाल शर्माः**
**श्रीमती किरण चौधरीः**
**श्री केसरीदेवसिंह झालाः**
**श्री अमर पाल मौर्यः**
**श्री चुन्नीलाल गरासियाः**
**श्री सुभाष बरालाः**
**श्री कणाद पुरकायस्थः**
**श्री लहर सिंह सिरोयाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय साईबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और उसकी राज्य इकाइयों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त धन को वसूलने और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध संबंधित नेटवर्क को बाधित करने के संबंध में निर्धारित मापनीय लक्ष्य क्या हैं;**
**(ख) मंत्रालय पुलिस बलों के बीच अंतर-राज्यीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध वास्तविक समय में अंतर-राज्य समन्वय स्थापित करने के लिए समन्वय प्लेटफ़ॉर्म और इसके 'प्रतिबिंब' मॉड्यूल का उपयोग कैसे कर रहा है;**
**(ग) टेलीकॉम कंपनियों, बैंको और साइबरक्राइम हेल्पलाइन की दूरभाष संख्या 1930 के बीच तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने और निधि निलंबन प्रक्रियाएँ अनिवार्य करने के लिए कौन -से नीतिगत या विधायी उपाय लागू किए जा रहे हैं; और**
**(घ) मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना द्वारा नई प्रयोगशालाओं से समयबद्ध, मानकीकृत फोरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से दोषसिद्धि दर में सुधार किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

**राज्य सभा अता.प्र.सं. 1992, दिनांक 17.12.2025**

(क) से (घ) : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश में साइबर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए एक रूपरेखा और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए वर्ष 2018 में योजना के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की थी। थोड़े से ही समय में आई4सी ने साइबर अपराधों से निपटने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय विकसित करने के लिए देश की सामूहिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम किया है। अब, 1 जुलाई, 2024 से गृह मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में आई4सी की स्थापना की गई है। आई4सी नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों और स्टेकहोल्डरों के बीच समन्वय में सुधार, क्षमता निर्माण, जागरूकता आदि शामिल हैं।

साइबर अपराध जांच में सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए आई4सी, गृह मंत्रालय और डिपार्ट्मन्ट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा 17 जनवरी 2025 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है।

समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। दिनाँक 31.10.2025 तक 23.02 लाख से अधिक शिकायतों में 7,130 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है। आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख

बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिनाँक 31.10.2025 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 11.14 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.96 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने, अभियोजन चलाने और दोषसिद्धि के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 132.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं तथा 24,600 से अधिक विधि प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

*****